<u>न्यायालय - न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर, राज०</u>

पीठासीन अधिकारी :– **सुमन मीणा, आर.जे.एस.(अति० कार्यभार)**

निय.फौज. प्र.सं. :– **2130/2018**

सी०आई०एस० नं. :– **1242/2018**

प्र.सू.रिपोर्ट सं० :– **53/2017-2018, आबकारी थाना, धौलपुर**

राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी, धौलपुर

---अभियोगी

बनाम

लोहरे पुत्र बनवारीलाल उम्र 25 साल निवासी ग्राम बलदेव का पुरा थाना बसेडी जिला धौलपुर राज०

---अभियुक्त

<u>उपस्थितः</u>-

01.	**राज्य की ओर से**	- विद्वान सहायक लोक अभियोजन अधिकारी।
02.	**अभियुक्त की ओर से**	- विद्वान अधिवक्ता प्रमोद कुमार।

अपराध की दिनांक	19.02.2018	**साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि**	27.03.2023
प्र.सू.रि. की दिनांक	20.02.2018	**बहस अंतिम की दिनांक**	27-04-2026
आरोप-पत्र पेश करने की दिनांक	02.08.2018	**निर्णय की दिनांक**	27.04.2026
आरोप विरचित करने की दिनांक	27.03.2023	**दण्डादेश की दिनांक (यदि हो तो)**	-

<u>फार्म "बी"</u>

<u>अभियुक्त का विवरणः</u>-

क्र. सं.	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी की दिनांक**	**जमानत की दिनांक**	**अपराध धारा**	**दोषमुक्त या दोषसिद्ध**
1.	**लोहरे**	-	-	16/54 एक्साईज एक्ट	दोषमुक्त

फार्म "सी"

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के साक्षीगण की सूचीः-

(अ) अभियोजन साक्षीः-

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	शिवनारायण शर्मा	मालखाना इंचार्ज साक्षी
2.	मामचंद	मौका व सैंपल वाहक साक्षी

(ब) प्रतिरक्षा साक्षीः- निल।

(स) न्यायालय साक्षीः- निल।

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के दस्तावेजात की सूचीः-

(अ) अभियोजन दस्तावेजातः-

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श पी.01	फर्द जब्ती शराब
2.	प्रदर्श पी.02	नक्शा मौका घटनास्थल
3.	प्रदर्श पी.03	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम
4.	प्रदर्श पी.04	FSL रिपोर्ट
5.	प्रदर्श पी.05	सीलबंद नमूना सैंपल

(ब) प्रतिरक्षा दस्तावेजातः- निल।

(स) न्यायालय दस्तावेजातः- निल।

(द) आर्टिकल की सूचीः- निल

अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम।

-- निर्णय --

दिनांकः- 27.04.2026

1. हस्तगत प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक 22 दिनांकित 19-02-2021 के तहत अंतरित होकर वास्ते निस्तारण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 19-02-2018 को मन प्रहराधिकारी बृजमोहन आबकारी निरोधक दल धौलपुर मय जाब्ता उदय सिंह व मामचंद सिपाही व अन्य जीप जाब्ता बाईपास रोड धौलपुर पर गश्त कर रहे थे, के समाने से एक व्यक्ति एक प्लास्टिक की बोतल अपने हाथ में लिये आ रहा था जो गाडी व जाब्ता को देखकर एक ओर तेजी से जाने लगा । जिसे शक के आधार पर जाब्ता की मदद से रोका जाकर उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम लोहरे सिंह पुत्र बनवारीलाल उम्र् 25 साल निवासी बलदेव पुरा थाना बसेडी धौलपुर का होना बताया तथा प्लास्टिक की बोतल में क्या पदार्थ भरा हुआ है, पूछे जाने पर हथकड

शराब भरा होना बताया। उक्त कार्यवाही हेतु मौके पर उपस्थित राहगीरों से स्वतंत्र गवाह बनने का आग्रह किया। जिस पर सभी ने मना कर दिया। जिस पर जाब्ता में से उदय सिंह व मामचंद सिपाही को मौतबिर नियुक्त कर नियमानुसार जामा तलाशी लेकर उक्त प्लास्टिक बोतल हथकड शराब का ढक्कन खोलकर सूंघा व देखा व औरों को सुंघाया व दिखाया तो सभी ने करीब 02 लीटर हथकड शराब होना बताया। उक्त बोतल हथकड शराब में से नमूना सैंपल रासायनिक परीक्षण हेतु एक साफ कांच के पव्वे में 180ML हथकड शराब निकाली जाकर शेष शराब को वजह सबूत उक्त प्लास्टिक बोतल में रहने दिया। पव्वा नमूना सैंपल व वजह सबूत प्लास्टिक बोतल में भरी शेष हथकड शराब को शील मोहर किया जाकर मौके की कार्यवाही कर माल व मुलजिम को कब्जे में लिया.....इत्यादि तथ्यों के आधार पर पुलिस आबकारी थाना, धौलपुर द्वारा मुकदमा संख्या 53/2017-2018 अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान, पुलिस आबकारी थाना, धौलपुर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 16/54 रा. आबकारी अधिनियम में आरोप-पत्र पेश किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध के आरोपों में न्यायालय द्वारा प्रंसज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अन्वीक्षा प्रारंभ की गयी।

3. अभियुक्त को धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन में 02 गवाह परीक्षित करवाये गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में 05 प्रदर्शों को प्रदर्शित करवाया गया है।

5. अभियोजन की साक्ष्य उपरांत अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 द.प्र.संहिता लिये गये, तो अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान, सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित है। गवाहान के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है। सभी गवाह अपनी जिरह में अडिग रहे है। अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे साबित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं हुई है। अतः अभियुक्त को दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त ने उक्त तर्को का विरोध कर तर्क दिया कि अभियुक्त को प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रकरण में किसी भी स्वतन्त्र गवाह के बयान पुलिस के द्वारा नहीं कराये गये है। अभियुक्त से जो शराब जप्त होना बताया गया है वह उसके कब्जे से जप्त नहीं हुआ है। गवाहों के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अंत में उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

9. प्रकरण में अवधारणीय बिन्दु यह है किः-

1. क्या अभियुक्त से दिनांक 19.02.2018 को समय 05.30 पीएम लगभग निनोखर रोड बाईपास, धौलपुर में आबकारी निरोधक दल धौलपुर द्वारा चैक करने पर उसके चैतन्य कब्जे हाथ से एक प्लास्टिक की बोतल जिसमें 02 लीटर अवैध हथकड शराब भरी बरामद हुई, जिसे अपने कब्जे में रखने या बेचने बाबत कोई वैध अनुज्ञा-पत्र आपके पास नहीं था?

2. यदि ऐसा है तो इसके लिए उचित दण्ड क्या होगा ?

10. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने प्रकरण के समर्थन में गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया गया है। जिसमें सर्वप्रथम परीक्षित गवाह पी.ड.01 शिवनारायण शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 19.02.2018 को वह आबकारी विभाग में जमादार के पद पर कार्यरत था। उस दिन पैराधिकारी श्री बजमोहन ने मुकदमा नंबर 53/17-18 में मूल० ल्होरे पुत्र बनवारी लाल का एक हथकड शराच से भरा कांच का पच्या मशीन्दा एक प्लास्टिक जरीकेत हथकड शराब से भरी मय शील्डशुदा अवस्था में दिनांक 19-02-2018 को शाम करीब 08:00 पीएम पर उसको मालखाने में जमा करवाया, जिसको उसने पच्या और जरीकेल को खाना में सुरक्षित कर लिया। दिनांक 26.02.2018 को सिपाही मानचंद को एक कांच का पत्या शील्डशा अवस्था में रामयनिक जांच हेतु जयपुर के लिए दिया गया **जिरह जरिये अधिवक्ता अभियुक्त में** गवाह ने स्वीकार किया है कि उसे मालखाना इंचार्ज कब नियुक्त किया गया व कब तक रहा उसे याद नहीं है। गवाह आगे स्वीकार करता है कि जरीकेन व पव्वा दोनों शील्डशुदा अवस्था में थे, जरिकेन व पव्वा दोनों पर चिट चिपकी हुई थी उसी आधार पर वह बता सकता है कि उनके अंदर शराब थी। गवाह आगे कथन करता है कि मालखाना में कांच का पव्वा व जरीकेन का इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में किया था जिसकी रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। गवाह आगे स्वीकार करता है कि पत्रावली पर संलग्न नकल मालखाना पंजिका की प्रति पर उसके कहीं हस्ताक्षर व मोहर नहीं है।

11. गवाह पी.ड.02 मामचंद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि यह दिनांक 19.02.2018 को सिपाही के पद पर आबकारी थाना धौलपुर में कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 53/17-18 धारा 16/54 दिनाक 19.02.2018 को वास्ते रेड गस्त मय जप्ता सिपाही उदयसिंह, प्रहराधिकारी श्री बृजमोहन के साथ बाईपास रोड धौलपुर पर गस्त कर रहे थे। सामने से एक व्यक्ति प्लास्टिक की बोतल अपने हाथ से लेकर आता दिखाई दिया। जिसे शक के आधार पर रोककर पीओ ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम ल्होरे सिंह पुत्र श्री बनवारी लाल उम्र 25 साल निवासी बलदेव पुरा थाना बसेडी, जिला धौलपुर का होना बताया। प्लास्टिक बोतल में क्या पदार्थ भरा है पूछने पर हथकड शराब होना बताया। इस कार्य वाही हेतु

मौके पर उपस्थित राहगीरों जो यह घटना देख रहे थे। उक्त राहगीरों से गवाह बनने का आग्रह किया, तो उन सभी के मना करने पर जप्ते में से उसने स्वयं व उदयसिंह सिपाही को गवाह नियुक्त कर नियमानुसार आपस में जमा तलाशी ले देकर प्लास्टिक बोतल का ढक्कन खोलकर सूंघाव देखा व हमे भी सूघाया व दिखाया, तो सभी ने करीबन 02 लीटर हथकड शराब होना बताया। उक्त कार्यवाही हेतु अनुसंधान बोक्स में से साफ कांच के पच्चे में एक पव्वा हथकड शराब वास्ते सैंपल प्लास्टिक बोतल में से निकाला जाकर सैंपल पव्या व वजह सबूत प्लास्टिक बोतल हथकड शराब को मौके पर हमारी दस्तखाती चिटो से सील मोहर कर माल कब्जेराज लिया। अभियुक्त को उसके कृत्य से अवगत करवा कर जरिये फर्द मौके पर गिरफतार किया। मौके की सभी लिखा पढी मौके पर ही पूर्ण कर हमे पढ़कर सुनाया व समझाया, जिस पर वह सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 26.02.2018 को एक पच्दा सैंपल मुकदमा संख्या 53/17-18 धारा 16/54 दिनांक 19.02.2018 में जप्त सैंपल पथ्या शील्ड हालत में मालखाना इंचार्ज से प्राप्त कर उसकी कस्टडी में रखते हुए बस द्वारा आबकारी प्रयोगशाला जयपुर में दिनांक 27.02.2018 को शील्डहालत में जमा करवा कर जमा रसीद प्राप्त कर थाना हाजा पहुंच जमा रसीद शामिल पत्रा० की गयी। फर्द जप्ती प्रदर्श पी.01 नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.02, फर्द गिरफतारी मुल० प्रदर्श पी.03 हैं तीनो पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल रसीद प्रदर्श पी.04 है, जो शमिल पत्रा० है, जिस पत्र के आधार पर वह सीलबंद नमुना सैंपल जांच हेतु लेकर प्रयोगशला गया था वह प्रदर्श पी.05 है। **जिरह जरिये अधिवक्ता अभियुक्त में** गवाह ने स्वीकार किया कि गश्त हेतु प्रयुक्त संविदा वाहन का नम्बर व चालक का नाम उसे याद नहीं है। जप्ती के समय चालक साथ था। घटनास्थल डामर रोड पर था, आसपास खेत थे, किन्तु खेतों के स्वामी व फसल संबंधी जानकारी उसे नहीं है। बरामद द्रव्य को सूंघकर शराब जैसी गंध आने पर शराब माना गया। कार्यवाही में लगभग एक घंटा लगा। द्रव्य रंगहीन होकर पानी जैसा दिखाई दे रहा था।

<u>विचारणीय बिंदु एक के संबंध में:-</u>

12. उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से न्यायालय में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में, के संबंध में विवेचन किया जाये, तो इस संबंध में प्रकरण अभियोजन पक्ष द्वारा केवल 02 गवाहों के परीक्षित करवाया गया है। अभियोजन के मुख्य गवाह पी.डब्ल्यू.02 रामदयाल एवं औपचारिक गवाह पी.डब्ल्यू.01 शिवनारायण शर्मा हैं। जब्ती में किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया है, जबकि वहां स्वतंत्र लोग थे। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा कथित बरामदशुदा माल अर्थात् प्लास्टिक बोतल, जरीकेन अथवा नमूना पव्वा न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। माल न्यायालय में पेश नहीं होने से उसकी शिनाख्तगी नहीं हो सकी तथा यह भी परीक्षण नहीं हो सका कि वही वस्तु अभियुक्त से जप्त होना बतायी गयी थी या नहीं। वहीं घटनास्थल सार्वजनिक स्थान होने के बावजूद अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र गवाह को न तो

जब्ती कार्यवाही में शामिल किया है और ना ही न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है। अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व था कि वह जप्त माल की सुरक्षित अभिरक्षा, सीलबन्द स्थिति तथा मालखाने से प्रयोगशाला एवं न्यायालय तक सम्पूर्ण श्रृंखला (Chain of Custody) को संदेह से परे प्रमाणित करे, किन्तु माल न्यायालय में पेश नहीं किये जाने से उक्त श्रृंखला पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुई है। दाण्डिक विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना प्रकरण संदेह से परे सिद्ध करना होता है। यदि साक्ष्य में संदेह उत्पन्न हो तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में जप्त माल की शिनाख्तगी न होना, स्वतंत्र/महत्वपूर्ण गवाह का परीक्षित न होना तथा चैन ऑफ कस्टडी सिद्ध न होना अभियोजन कहानी पर संदेह उत्पन्न करता है। वहीं आई०ओ परीक्षित नहीं हुआ है तथा FSL भी प्रदर्शित नहीं हुई है।

13. पत्रावली पर आयी समस्त साक्ष्य के विवेचन से अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे युक्ति-युक्त साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त से दिनांक 19.02.2018 को समय 05.30 पीएम लगभग निनोखर रोड बाईपास, धौलपुर में आबकारी निरोधक दल धौलपुर द्वारा चैक करने पर उसके चैतन्य कब्जे हाथ से एक प्लास्टिक की बोतल जिसमें 02 अवैध हथकड लीटर शराब भरी बरामद हुई, जिसे अपने कब्जे में रखने या बेचने बाबत कोई वैध अनुज्ञा-पत्र आपके पास नहीं था। लिहाजाः अभियुक्त आरोपित अपराध से **दोषमुक्त** किये जाने योग्य है।

- <u>आदेश</u> -

14. अतः अभियुक्त **लोहरे पुत्र बनवारीलाल उम्र 25 साल निवासी ग्राम बलदेव का पुरा थाना बसेडी जिला धौलपुर राज०** को धारा **16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम** के आरोप में **संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित** किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में पेश उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त के न्यायालय में हाजिर आने बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्त के धारा **437-ए दं.प्र.सं.** के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलके अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् **6 माह** की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे। **प्रकरण में जब्तशुदा माल का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावे।**

(सुमन मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर, राज.

15. निर्णय व आदेश आज दिनांक **27.04.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुमन मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर, राज.